GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3442
TO BE ANSWERED ON 05th August, 2022

VACANCY IN SEATS RESERVED FOR EX-SERVICEMEN

3442. SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that out of the 10 percent of Group C and 20 percent for Group D seats reserved for ex-servicemen in Central Government Departments, only 1.29 percent (Group C) and 2.66 percent (Group D) of the total seats were filled by recruiting ex-servicemen, as of June 30, 2021;

(b) if so, whether it is also a fact that out of the 14.5 percent of Group C and 24.5 percent of Group D seats reserved for ex-servicemen in Central Public Sector Undertakings (CPSUs), only 1.15 percent (Group C) and 0.3 percent (Group D) of the total seats were filled by recruiting ex-servicemen, as of June 30, 2021;

(c) if so, the reasons for the shortfall in recruitment of ex-servicemen for such reserved seats; and

(d) the measures taken by the Government to fill up such vacant reserved seats of ex-servicemen in the Central Government Departments and CPSUs?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) & (b): The percentage of total seats filled by recruiting Ex-servicemen in Central Government Departments and Central Public Sector Undertakings (as on 30th June, 2021) are as under:-

Sl.No.	Name of Organization	Classification of Posts	Percentage of ESM
1.	CCS&P	GP C	1.39
		GP D	2.77
2.	CPSUs	GP C	1.14
		GP D	0.37

….2/-

https://www.staffnews.in

(c): Adequate numbers of ESM are not qualifying for these Posts for want of requisite educational qualification prescribed for the Posts.

(d): The reservation Policy for Ex-servicemen is implemented by the concerned Government Departments/Public Sector Undertakings. Directorate General of Resettlement (DGR) has been designated as the nodal agency to monitor the reservation policy for Ex-servicemen. The Government issues advisories from time to time, to concerned Departments/CPSUs/Banks/State Governments to conduct special drive to fill up the backlog of vacancies reserved for ESM by adopting relaxed standards of qualifications. Liaison Officers have also been appointed in various Departments/PSUs/Banks etc. to ensure implementation of reservation policy for ESM in letter and spirit.

*****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3442
05 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सीटों में रिक्ति

3442.श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकरः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार के विभागों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित समूह-ग के लिए 10 प्रतिशत और समूह-घ के लिए 20 प्रतिशत सीटों में से 30 जून, 2021 तक भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती से भरी जाने वाली कुल सीटों में से केवल 1.29 प्रतिशत (समूह-ग) और 2.66 प्रतिशत (समूह-घ) की सीटें भरी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित समूह-ग के लिए 14.5 प्रतिशत और समूह-घ की 24.5 प्रतिशत सीटों में से 30 जून, 2021 तक भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती से भरी जाने वाली कुल सीटों में से केवल 1.15 प्रतिशत(समूह-ग) और 0.3 प्रतिशत (समूह-घ) की सीटें भरी गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी आरक्षित सीटों के लिए भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती में कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) केंद्र सरकार के विभागों और सीपीएसयू में भूतपूर्व सैनिकों की ऐसी रिक्त आरक्षित सीटों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख) केंद्रीय सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती द्वारा भरी गई कुल सीटों का प्रतिशत (30 जून, 2021 की स्थिति के अनुसार) निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	संगठन का नाम	पदों का वर्गीकरण	भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिशत

https://www.staffnews.in

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	सीसीएसएंडपी	समूह ग	1.39
		समूह घ	2.77
2	सीपीएसयू	समूह ग	1.14
		समूह घ	0.37

(ग) पदों के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की कमी के कारण इन पदों के लिए पर्याप्त संख्या में भूतपूर्व सैनिक पास नहीं कर पा रहे हैं।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन संबंधित सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाता है । भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति की निगरानी हेतु पुर्नवास महानिदेशालय(डीजीआर) को नोडल एजेंसी के रूप में मनोनीत किया गया है । सरकार संबंधित विभाग/सीपीएसयू/बैंकों/राज्य सरकारों को शिथिल शैक्षणिक योग्यता मानकों को अपना कर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु समय-समय पर एडवायजरी जारी करती है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों/पीएसयू/बैंकों आदि में संपर्क अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है।

***

https://www.staffnews.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 1149

TO BE ANSWERED ON 22nd July, 2022

RECRUITMENT OF EX-SERVICEMEN

1149. ADV. DEAN KURIAKOSE:
SHRI ANTO ANTONY:
ADV. ADOOR PRAKASH:
SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P.:
SHRI BENNY BEHANAN:
DR. AMAR SINGH:
DR. A. CHELLAKUMAR:
SHRI UTTAM KUMAR REDDY NALAMADA:
SHRI M. SELVARAJ:
SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR:
SHRI MANICKAM TAGORE B.:
SHRI S. VENKATESAN:
DR. MOHAMMAD JAWED:
SHRI KUMBAKUDI SUDHAKARAN:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the total number of ex-servicemen recruited in Government jobs from 2014 to 2022, year-wise along with the reservation quotas or targets, if any, for their recruitment in various Government Departments; and

(b) the percentage of reservation for ex-servicemen in the recruitment for Central Government services and posts in the public sector institutions along with the percentage of ex-servicemen employees working therein?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) & (b): Following reservations for ex-servicemen (ESM) is available in Central Civil Services & Posts (CCS&P), Central Armed Police Forces (CAPFs), Central Public Sector Undertakings (CPSUs), Public Sector Banks (PSBs) and Defence Security Corps (DSC);

- Reservation in Central Govt. Ministries/Departments(CCS&P) and Central Armed Police Forces (CAPFs):
  - 10% in Direct recruitment posts in Group 'C '

…2/-

https://www.staffnews.in

- 20%in Direct recruitment posts in Group 'D'
- 10% in all Direct recruitment posts upto the level of Assistant Commandant in Central Armed Police Forces (CAPFs).

➢ Reservation in Central Public Sector Undertakings and Public Sector Banks:

- 14.5 % in all Direct Recruitment Group 'C ' Posts
- 24.5 % in all Direct Recruitment Group 'D' Posts

(including 4.5% for Disabled ESM and dependents of Service personnel killed inaction)

➢ 100% in Defence Security Corps.

As per available data, year wise recruitment of ESMs between 2014 & 2021 and their representation is as follows:

(i) Recruitment of ESMs;

Year	Number of ESMs
2014	2322
2015	10982
2016	9086
2017	5638
2018	4175
2019	2968
2020	2584
2021	2983

(ii) Representations of ESMs, as on 30.06.2021;

Sl. No.	**Name of Organization**	**Classification of posts**	**Percentage of ESM**
(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**
1	CCS&P	GP C	1.39
		GP D	2.77
2	CPSUs	GP C	1.14
		GP D	0.37
3	PSBs	GP C	9.10
		GP D	21.34
4	CAPFs	GP A	2.20
		GP B	0.87
		GP C	0.47
		GP D	0.00

*****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1149
22 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती

1149. एडवोकेट डीन कुरियाकोस :
श्री एंटो एन्टोनी :
एडवोकेट अदूर प्रकाश :
श्री मोहम्मद फैजल पी.पी :
श्री बैन्नी बेहनन :
ड़ॉ. अमर सिंह :
डॉ. ए. चेल्लाकुमार :
श्री उत्तम कुमार रेड्डी :
श्री एम.सेल्वराज :
श्री बालूभाई धानोरकर उर्फ सुरेश नारायण :
श्री बी. मणिक्कम टैगोर :
श्री एस. वेंकटेशन :
डॉ. मोहम्मद जावेद :
श्री के. सुधाकरण :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 से 2022 तक सरकारी नौकरियों में कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती हुई और विभिन्न सरकारी विभागों में उनकी भर्ती के लिए आरक्षण का कोटा या लक्ष्य, यदि कोई है, कितना है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में केन्द्र सरकार की सेवाओं और पदों की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है और उनमें कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिशत कितना है ?

https://www.staffnews.in

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख) : केन्द्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों (सीसीएस एंड पी), केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों (सीपीएसयू), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) में भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए निम्नलिखित आरक्षण उपलब्ध है:-

➢ **केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों (सीसीएस एंड पी) और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में आरक्षण :**

- समूह 'ग' के सीधी भर्ती वाले पदों में 10 प्रतिशत
- समूह 'घ' के सीधी भर्ती वाले पदों में 20 प्रतिशत
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में सहायक कमांडेंट के स्तर तक सीधी भर्ती वाले सभी पदों में 10 प्रतिशत

➢ **सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आरक्षण :**

- समूह 'ग' के सीधी भर्ती वाले सभी पदों में 14.5 प्रतिशत
- समूह 'घ' के सीधी भर्ती वाले सभी पदों में 24.5 प्रतिशत
  (दिव्यांग ईएसएम और युद्ध के दौरान मारे गए सेना के कार्मिकों के आश्रितों के लिए 4.5 प्रतिशत सहित)

➢ **रक्षा सुरक्षा कोर में शत-प्रतिशत**

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 और वर्ष 2021 के बीच ईएसएम की भर्ती और उनके प्रतिनिधित्व का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) ईएसएम की भर्ती;

वर्ष	ईएसएम की संख्या
2014	2322
2015	10982
2016	9086
2017	5638
2018	4175
2019	2968
2020	2584
2021	2983

https://www.staffnews.in

(ii) दिनांक 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार ईएसएम का प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	संगठन का नाम	पदों का वर्गीकरण	ईएसएम का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**
1	सीसीएस एंड पी	समूह ग	1.39
		समूह घ	2.77
2	सीपीएसयू	समूह ग	1.14
		समूह घ	0.37
3	पीएसबी	समूह ग	9.10
		समूह घ	21.34
4	सीएपीएफ	समूह क	2.20
		समूह ख	0.87
		समूह ग	0.47
		समूह घ	0.00

*****

https://www.staffnews.in